प्रेस नोट

LALITPUR POLICE

दिनांक-01.07.2024

कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा डाक्टर से 20 लाख रूपयो की मांग करने व न देने पर डाक्टर व उसके लड़के को जान से मारने की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 537/2024 धारा 387/506 भादवि में वांछित अभियुक्त अनिल साहू पुत्र हरीराम साहू उम्र करीब 21 वर्ष नि0 गोविन्द नगर थाना कोतवाली जनपद ललितपुर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम राजघाट से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा डॉक्टर विनोद साहू पुत्र मोतीलाल निवासी गोविन्द नगर थाना कोतवाली ललितपुर के द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर फोन कर अवैध 20 लाख रुपये की मांग करना न देने पर वादी व वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी।

सूचना के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की संवेदनाशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 06 टीमे गठित की गयी जिसमें स्वाट टीम, सर्विलांस, साइबर , थाना कोतवाली पुलिस व अन्य थानों की पुलिस टीमो को लगाया गया था। धरातलीय सूचना, सर्विलांस व अन्य एकत्रित साक्ष्यों की मदद से अभियुक्त अनिल साहू को गिरफ्तार किया गया।

पूंछताछ का विवरण- अभियुक्त अनिल साहू ने पूछताछ में बताया कि दिनेश साहू व शिवम परिहार मेरे दोस्त है। दिनेश साहू डाक्टर विनोद साहू के पड़ोस में रहता है। दिनेश को जोए इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेन्सी खोलनी थी जिसके लिये उसे रूपयों की जरूरत थी। और मैं भी कोई काम काज नही करता हूँ मुझे भी रूपयो की जरूरत थी इसलिये हम सभी लोगो ने मिलकर डाक्टर से 20 लाख रूपये रंगदारी की मांग की थी क्योकि डाक्टर सीधे साधे व्यक्ति है हमें यह विश्वास था कि डाक्टर डर कर रूपये दे देगे। इस सबके लिये हमने लम्बे समय से तैयारी की थी। फिर बाद में डाक्टर ने पुलिस में मुकदमा लिखा दिया जिससे हम लोग डर गये थे और भाग रहे थे तथा राजघाट होते हुए जिले से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे तभी पुलिस वालो ने हम लोगो को रोका तो दिनेश व शिवम ने पकडे जाने के डर से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग में दिनेश व शिवम के पैर में गोली लग गई थी और वह लोग घायल हो गये है। और आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया। साहब गलती हो गयी मांफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनिल साहू पुत्र हरीराम साहू उम्र करीब 21 वर्ष नि0 गोविन्द नगर थाना कोतवाली जनपद ललितपुर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय- दिनांक 01.07.2024 ग्राम राजघाट थाना कोतवाली ललितपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री रमेश चन्द मिश्रा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय टीम।
2. उ0नि0 श्री राहुल राठौर मय स्वाट टीम
3. सर्विलांस टीम ललितपुर